न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :— 136 / 2021

1. पतराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी हाल आबाद चक 6 डी. डब्ल्युडी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चुरु ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।
3. बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री सुभाषचन्द्र जालप अधिवक्ता वादी की ओर से
2. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी. एक्ट

—: निर्णय :— **दिनांक :— 04.08.2022**

यह वादपत्र वादी की ओर से अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई के परिवार का आय का एकमात्र साधन उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ही है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम की भूमि चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109 / 60 का किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी के सहिस्सेदार भाई बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी. एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर व किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड / अनकमाण्ड कृषि भूमि को वादी स्वंय ने जरिये बैयनामा दिनांक 21.12.1998 को खरीद की थी। जिसका बैयनामा कार्यालय उप पंजीयक खाजूवाला में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 14 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 1386 पर अंकित किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या / जिल्द संख्या 14 के पृष्ठ संख्या 28 पर चस्पा किया गया है। उक्त रकबे का बैयनामा का नामान्तरण दिनांक 05.03.1999 को नामान्तरण संख्या 39 पर वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई के नाम से दर्ज हो गया व उक्त रकबा का कब्जा वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई का बैयनामा से लेकर आजदिनांक तक चलता आ रहा है। उक्त भूमि के बैयनामा का नामान्तरण संख्या 39 वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई के नाम से दर्ज होने के बाद वादी व वादी का सहिस्सेदार भाई अधिक प[illegible]हीं होने के कारण नामान्तरण की प्रति प्राप्त कर भूमि अपने [illegible] भूमि को सुधारने व कृषि कार्यो में व्यस्त हो गये थे। वादी व वादी के स[illegible]दार भाई अपने उक्त रकबा के के.सी.सी. फाईल लेने हेतु दिनांक 10.09.2021 को हल्का पटवारी के प[illegible] तो हल्का पटवारी ने कहा की आप कहां घूम रहे हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि आपके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। वादी को पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि की गिरदावरी में पटवारी हल्का द्वारा सहवन से वादी व वादी के भाई का नाम अंकन होने से छूट गया। जिससे वादी व वादी के सहिस्सेदार भाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो सका तथा रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 का ही नाम अंकित रह गया है। वादी अपने व अपने सहिस्सेदार भाई के नाम उपरोक्त रकबा का राजस्व रिकॉर्ड में अपना व अपने सहिस्सेदार भाई का नाम अंकित करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद चिरस्थाई निषेधाज्ञा का पेशकर निवेदन किया है कि चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109/60 का किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी के सहिस्सेदार भाई बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम से व किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद तलवी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस/समन भिजवाने उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 20.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3 को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया एवं प्रतिवादी सं0 3 ने वादपत्र में इकबाली जवाबदावा पेश किया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट ली गई । उक्त रिपोर्ट अनुसार ''वर्तमान जमाबन्दी में चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 25 बीघा भूमि भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर के नाम पु0 आवंटी दर्ज है। सन् 1998 से आजदिनांक तक जमाबन्दी में मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 23 कुल 23.00 बीघा का कोई अंकन परिवर्तन नहीं हुआ। ना0सं0 38/05.03.1999 के द्वारा मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 23 तादादी 23.00 बीघा रकबा भारदराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल के नाम खातेदार स्वीकृत हुआ। ना0सं0 39/05.03.1999 जरिये बैयनामा द्वारा मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 23 कुल 23.00 बीघा 2 अलग-अलग व्यक्तियों के नाम दर्ज हुईः- 1. **बुधराम** पुत्र धन्नाराम बावरी साकिन 2 पीएसडी(ए) तहसील घड़साना जिला गंगानगर मु0नं0 109/60 किला नं0 5 ता 7/3.00 बीघा, 1 ता 4/4.00 बीघा, 8 ता 11/4.00 बीघा, 12/0.10 बीघा कुल 11.10 बीघा खातेदार व 2. **पतराम** पुत्र धनाराम जाति बावरी साकिन 2 पीएसडी(ए) तहसील घड़साना जिला गंगानगर मु0नं0 109/60 किला नं0 13 ता 19/7.00 बीघा, 21 ता 23/3.00 बीघा, 20/1.0, 12/0.10 कुल 11.10 बीघा खातेदार स्वीकृत हुई। मौके पर मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 23 मे जमाबन्दी के रकबे अनुसार व ना0सं0 39/05.03.199 अनुसार बुधराम व पतराम पि0 धनाराम जाति बावरी [illegible] काश्त है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का स्थगन आदेश अंकित है''।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे निवेदन किया कि श्रीमान वादी व प्रतिवादी सं0 3 अनपढ़ व्यक्ति होने के कारण जानकारी के अभाव में आजदिनांक तक रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने का ध्यान नहीं दिया गया और अब वादी व प्रतिवादी सं0 3 जरिये बैयनामा से क्रय रकबे अधिकार घोषणा के जरिये अपने नाम को उपरोक्त वर्णित रकबे में खातेदार के रूप घोषणा करवाकर रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाना चाहते है। जिसके पक्ष में प्रमाणित प्रति बैयनामा, ना0सं0 38 खातेदारी व ना0सं0 39 बैयनामा व खातेदारी की छायाप्रति व वर्तमान जमाबन्दी पेश की है तथा तहसीलदार रिपोर्ट से भी वादी व प्रतिवादी सं0 3 के कथन की पुष्टि होती है तथा वादी के वादपत्र के पक्ष में बल मिलता है। इसलिए भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर के नाम पु0 आवंटी दर्ज भूमि चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 25 बीघा में से किला नं0 1 ता 23 की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम की जगह चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 3 सहिस्सेदार भाई बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम तथा किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि वादी स्वंय के नाम से राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बहस पर मनन करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किये जाने काबिल पाया जाता है। अतः वादी का वाद उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व 151 सीपीसी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुवे स्वीकार किया जाता है तथा भादरराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर के नाम पु0 आवंटी दर्ज भूमि चक 6 डीडब्ल्युडी के मु0नं0 109/60 किला नं0 1 ता 25 बीघा में से किला नं0 1 ता 23 की 23.00 बीघा भादरराम का नाम हटाकर उसकी जगह वादी पतराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. हाल आबाद चक 6 डी.डब्ल्यु.डी. तहसील खाजूवाला जिला के नाम किला नं0 12 में 10 बिस्वा, 13 ता 23 सालम में कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि तथा प्रतिवादी सं0 3 बुधराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी निवासी 2 पी.एस.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के नाम चक 6 डी. डब्ल्यु.डी. का मु0नं0 109/60 के किला नं0 1 ता 11 सालम, 12 में 10 बिस्वा कुल 11.10 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड खातेदार दर्ज करने के आदेश किये जाते है तथा दिनांक 2109.21 व 28.6.22 को जारी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:11 IST
Reason: SelfAttested